नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
खण्डपीठ :–पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क्रमांक–02, नरसिंहपुर (म.प्र.)

खण्डपीठ
क्रमांक–02

क्लेम प्रकरण क्र. :–42/2020
Filing No.-MACC/178/2020

CNR No.-MP4901-004665-2020

1. चोखेलाल ठाकुर पिता श्री राम जी ठाकुर, उम्र–49 वर्ष
2. कौशल्याबाई पति श्री चोखेलाल ठाकुर, उम्र–45 वर्ष
   सभी निवासीगण–ग्राम खेरूआ पोस्ट रसेना
   थाना महाराजपुर, तहसील देवरी,
   जिला सागर म.प्र. ....**आवेदकगण**

::– विरूद्ध –::

1. भारत रघुवंशी पिता अमोल सिंह रघुवंशी उम्र–47 वर्ष
   निवासी–शास्त्री वार्ड करेली, थाना करेली
   जिला नरसिंहुपर म.प्र.
2. संतोष सिंह रघुवंशी पिता शंकरसिंह रघुवंशी, उम्र–50 वर्ष
   निवासी–महात्मा गांधी वार्ड, करेली
   थाना करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र.
3. आई.सी.आई.सी.आई. लूम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस कं.लि.
   पता–रसल चौक के सामने, नेपियर टाउन
   जबलपुर म.प्र. ....**अनावेदकगण**

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय/विधि उपयोग हेतु अमान्य)

::– अवार्ड –::

(आज दिनांक **10.07.2021** को पारित किया गया)

01– आवेदक ने यह आवेदन पत्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 एवं 140 के अधीन वाहन दुर्घटना में कौशल ठाकुर की हुई मृत्य के कारण क्षतिपूर्ति राशि रूपये 23,00,000/–(तेईस लाख रूपये) प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 10 जुलाई 2021 को नेशनल लोक अदालत की बैठक में पक्षकारों के मध्य स्वेच्छयापूर्वक आपसी सहमति से हुए राजीनामा के आधार पर निम्न लिखित अवार्ड पारित किया जाता है :–

(01) अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कम्पनी, आवेदक को 6,78,000/–(छः लाख अठहत्तर हजार रूपये) दो माह की समयावधि में अदा करें। क्षतिपूर्ति राशि उक्त अवधि में अदा न करने पर अवार्ड पारित करने के दिनांक से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(02) शेष अनावेदकगण के विरूद्ध दावा निरस्त किया जाता है।

(03) अनावेदक क्र0 3 बीमा कंपनी द्वारा चैक/ऑनलाइन पेमेंट देने के उपरांत संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत आवेदक क्र. 1 चोखेलाल ठाकुर (आवेदक क्र0 1 को प्राप्त होने वाली 50 प्रतिशत राशि में से 60 प्रतिशत अकाउंट पेई चैक के माध्यम से नगद तथा 40 प्रतिशत राशि 03 वर्ष की अवधि हेतु सावधि खाते मे जमा किया जावे।) तथा 50 प्रतिशत राशि आवेदिका क्र0 2 कौशल्याबाई (आवेदक क्र0 2 को प्राप्त होने वाली 50 प्रतिशत राशि में से 60 प्रतिशत अकाउंट पेई चैक के माध्यम से नगद तथा 40 प्रतिशत राशि 03 वर्ष की अवधि हेतु सावधि खाते मे जमा किया जावे।) अदा की जावे।

(04) प्रकरण में यदि कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि अदा की गई है तो वह उक्त धनराशि में समयोजित की जावेगी।

(05) राजीनामा के प्रकाश में उभयपक्ष अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगें।

नोटः– अनावेदक क्र0 3 राशि का भुगतान इस अधिकरण के खाता क्रमांक 18902122002624, आरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, IFSC Code- PUNB0272000 में ऑनलाइन रूप से करें।

सही/–

श्री एस. के. दीक्षित
(अधिवक्ता सदस्य)

जसवंतसिंह यादव
(पीठासीन अधिकारी)
खण्डपीठ क्रं.–02

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)